

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) GTSNY-33-09/2018

2521

/पटना, दिनांक-03/7/18

प्रेषक,

संजय कुमार भा0 प्र0 से0  
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:-


योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)-लघुशीर्ष-103-ग्राम विकास राज्य योजना उपशीर्ष 0119-ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, 5301-मूल निर्माण कार्य के अन्तर्गत राज्य के सुपौल जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, वीरपुर के क्षेत्राधीन ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत बसंतपुर प्रखंड के House of Sushil Mehta to House of Rajender Mehta तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.980 कि० मी० निर्माण हेतु रू० 150.91 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 4.030 लाख अर्थात् कुल राशि 154.94 लाख (एक सौ चौवन लाख चौरानवे हजार रूपये) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-लघुशीर्ष-103-ग्राम विकास राज्य योजना उपशीर्ष 0119 ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत राज्य के सुपौल जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, वीरपुर के क्षेत्राधीन ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत बसंतपुर प्रखंड के House of Sushil Mehta to House of Rajender Mehta तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.980 कि० मी० निर्माण हेतु रू० 150.91 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 4.030 लाख अर्थात् कुल राशि 154.94 लाख (एक सौ चौवन लाख चौरानवे हजार रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. विषयांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जो विभागीय पत्रांक- BRRDA (HQ) GTSNY -460/2016-3431 पटना, दिनांक 05.05.2017 के द्वारा 143.35 लाख रू० हेतु प्रदत्त है, को निरस्त किया जाता है।
2. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
4. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
5. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)-लघुशीर्ष-103-ग्राम विकास राज्य योजना उपशीर्ष 0119-ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना मद में अवशेष राशि 32845.94938 लाख से विकलनीय होगा।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर द्वारा संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, मधेपुरा एवं मुख्य अभियंता-2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगें।

7. कार्यपालक अभियंता, वीरपुर सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना शीर्ष के अधीन स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या- सं०- मु० अ०-४ (मु०) GTSNY-33-09/2018 में पृष्ठ 03/टि० पर दिनांक 03.06.2018 को प्राप्त है।
9. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) GTSNY-33-09/2018 में पृष्ठ ...../टि० पर दिनांक-..... 2018 को प्राप्त है।
11. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
12. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, वीरपुर से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।

विश्वासभाजन  
  
 (संजय कुमार)  
 अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) GTSNY-33-09/2018 2521 / पटना, दिनांक 03/7/18

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित  
  
 अपर सचिव  
 ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) GTSNY-33-09/2018 2521 / पटना, दिनांक 03/7/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/उप विकास, आयुक्त सुपौल/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पार्कड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता-2, पटना ग्रा० का० वि०/मु० अ०-४ (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, वीरपुर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्प्लेक्स पॉचर्वी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव  
